


101

III/नगरानी/रीवा/2017/3955

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट  
रीवा जिला रीवा म0प्र0



- 1- रामपति पटेल तनय स्व0 तुलसी पटेल उम्र 55 वर्ष पेशा कृषि
- 2- मु0 रामरती विधवा पत्नी स्व0 तुलसी पटेल उम्र 75 वर्ष पेशा घरुकार्य  
दोनो निवासी ग्राम रीठी तह0 गुढ जिला रीवा म0प्र0

Rs. 30/-

--- निगरानीकर्ता गण

बनाम

- 1- मु0 भगवनियां विधवा पत्नी स्व0 रामस्वयंबर पटेल
- 2- सीताराम पटेल पिता रामस्वयंबर पटेल
- 3- वीरभान पिता रामस्वयंबर पटेल
- 4- राधेलाल पटेल पिता स्व0 गयादीन पटेल
- 5- मु0 बतासियां विधवा पत्नी स्व0 छोटेला ल पटेल
- 6- रामानुज पटेल पिता छोटेला ल पटेल
- 7- रामप्रताप पटेल पिता स्व0 छोटेला ल पटेल
- 8- रामसेवक पटेल पिता स्व0 छोटेला ल पटेल
- 9- श्रीमती प्रेमवती पुत्री स्व0 छोटेला ल पटेल
- 10- श्रीमती कुसम कली पुत्री स्व0 छोटेला ल पटेल

सभी निवासी ग्राम रीठी तह0 गुढ जिला रीवा म0प्र0

--- गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध श्रीमान् अनुविभागीय  
अधिकारी महोदय, तहसील गुढ जिला रीवा  
म0प्र0 के प्रकरण क0  
37/अपील/2016-17 आदेश दिनांक  
13-10-2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0स0  
1959 ई0

निगरानी का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :-

आराजी नं0 जिसका पुराना नं0 388 नया नं0 368 रकवा 2.144हे0  
स्थित ग्राम उमरी उर्फ अवधेशपुर तह0 गुढ जिला रीवा म0 प्र0 में स्थित है

रामपती



अभिधी रामपती पटेल  
दाता रीवा 18.10.17


कलक ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल नं0 प्र0 ग्वालियर  
(सर्किट कोर्ट) रीवा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III/निगा/7/3955

जिला- सीधा

पक्षकार का नाम शम्भुपती पटेल / मूल मन्थनिया

(1)	(2)	(3)
28.12.17	<p>प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2-आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>3- आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखामार में संचय हेतु भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	